

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1021 / 2022 दिनांक : 24.03.2022

श्रीमती रिद्धिमा शर्मा (RJ0558), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जयपुर महानगर—I को दिनांक 28.02.2022 से 05.03.2022 तक 08 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 26.02.2022 से 27.02.2022 एवं 06.03.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), जयपुर महानगर—I ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जयपुर महानगर—I के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
24.03.2022
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/17/2008/2302

दिनांक : 24.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—I को उनके पत्रांक 1092 दिनांक 08.03.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रिद्धिमा शर्मा (RJ0558), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जयपुर महानगर—I
4. अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जयपुर महानगर—I
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), जयपुर महानगर—I

24.3.2022
सहायक रजिस्ट्रार